विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित (Consolidated) दिशा–निर्देश–2016.

....

1. पृष्ठभूमिः–

1.1 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को वर्ष 1999– 2000 में आरम्भ किया गया है । यह योजना माननीय विधायकों को स्थानीय विकास के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने की दृष्टि से भी आरम्भ की गई है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति से भी प्रेरित है ।

1.2 पिछले वर्षों के दौरान कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु समय–समय पर आंशिक रूप से स्पष्टीकरण/संशोधन जारी किए गए। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके दृष्टिगत, कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कुछ नई विकास योजनायों को इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित हेतु लिया गया है उनको भी इन दिशा–निर्देशों में शामिल किया गया है।

1.3 योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1999–2000 में प्रति विधायक क्षेत्र 15 लाख रूपए की धनराशि प्रावधित की गई थी। प्रदेश के विकास को मध्यनजर रखते हुए समय–समय पर इस राशि को बढ़ाया गया तथा अब वर्ष 2016–17 से प्रति विधायक राशि को बढ़ाकर 1.00 करोड़ रूपये किया गया है । इस राशि में से 5.00 लाख रूपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र ''मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना'' के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया है ।

1.4 इस योजना के संचालन व क्रियान्वयन से निम्न मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति अपेक्षित है :–

क) सभी विधायकों को स्थानीय विकास के लिए समान धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।

ख) सभी विधायक जिले में कहीं भी स्कीमों की संस्तुति कर सकते हैं तथा अपने चुनाव क्षेत्र में मध्यम अवधि की स्थानीय विकास योजनाएं निर्धारित कर सकेंगे तथा समान विकास भी सुनिश्चित कर सकेंगे ।[1]

ग) क्योंकि प्रकिया व स्कीमों का निर्धारण माननीय विधायक करेंगे, वे इनके कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग में भी अधिक रूचि लेंगे जिसके परिणाम स्वरुप सीमित वित्तीय साधनों का सामयिक व प्रभावी उपयोग हो पाएगा तथा लागत वृद्धि व धनराशि संचित होकर बैंक–खातों इत्यादि में नहीं पड़ी रहेगी।

---

[1] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपी/5–12/05वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 25.4.2012 द्वारा संशोधित

घ) इस योजना के अधीन कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम सीमा नहीं रखी गई है।

2. संभावित विकास योजनाएँ जो विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा सकती है/नहीं की जा सकती हैंः

2.1 इस योजना के अधीन केवल ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने चाहिएं जोकि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पतियों के निर्माण में सहायक हों। इनमें निम्न प्रकार के विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए जा सकते हैंः–

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण ।
2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण ।
3. हैंडपम्पों की स्थापना ।
4. ऐसे गाँवों के लिए मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़क से न जुड़े हुए हों ।
5. गाँवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें ।
6. स्वास्थ्य संस्थाओं में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासाऊंड मशीने, ई.सी. जी. मशीने इत्यादि ।
7. स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए एम्बूलैंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए सम्बन्धित संस्था/ विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।[2]
8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी–नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण ।
9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पाहिया वाहन चल सकें के कार्यो के निर्माण हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को आबंटित धनराशि में से अधिकतम 15 प्रतिशत राशि ही स्वीकृत की जा सकती है।
10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनाएं जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।

---

[2] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपी/5–12/05 वीकेवीएनवाई दिनांक 27.8.2014 द्वारा संशोधित

11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें ।

12. पाठशालाओं में शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त बस अड्डा आदि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण भी करवाया जा सकता है ।[3]

13. दूर–दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतीकरण (LT Extensions).[4]

14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य ।[5]

15. पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण कार्य ।[6]

16. बस स्टैंड निर्माण व रख–रखाव ।[7]

17. सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि ।[8]

18. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव।[9]

19. WiFi लगाने का प्रावधान (Non-recurring Expenditure)[10]

20. माननीय विधायक इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के साथ–साथ अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना, महिला मण्डलों को बर्तन तथा फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुदान (अधिकतम 20,000/– रूपये प्रति महिला मण्डल) आदि को स्वीकृत करने हेतु आवश्यक अनुशंसा भी कर सकेंगे।[11]

---

[3] पत्र संख्याःपीएलजी (एफ)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 2.6.2000 द्वारा संशोधित

[4] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 4.11.2004 द्वारा संशोधित

[5] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 3.3.2005 द्वारा संशोधित

[6] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 25.4.2012 द्वारा संशोधित

[7] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)/आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 5.5.2015 द्वारा संशोधित

[8] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–12/05–वीकेवीएनवाई दिनांक 4.7.2015 द्वारा संशोधित

[9] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–1/16 वि.स.1–1/2013 दिनांक 18.4.2016 द्वारा संशोधित

[10] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–1/2016.17 वीकेवीएनवाई –गाईडलाईनस–2016 दिनांक 17.9. 2016 द्वारा संशोधित

[11] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–1/2016.17 वीकेवीएनवाई –गाईडलाईनस–2016 दिनांक 8.5. 2017

2.2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगें और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी ।

2.3. इस योजना के अधीन कोई भी ऐसी स्कीम अथवा परियोजना स्वीकृत नहीं की जाएगी जो निजि संस्थाओं को लाभान्वित करती हो । किसी भी धार्मिक संस्था के लिए इस योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की सहायता दी जानी मान्य नहीं होगी ।

2.4. इस स्कीम के अधीन जन–साधारण को सामुदायिक आधार पर लाभान्वित किए जाने वाली परिसम्पतियों के लिए ही स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी ।

3. योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्थाः–

3.1. इस योजना के अधीन विधायक अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित उपरोक्त सूची में से किसी भी स्कीम अथवा कार्य की संस्तुतियां सम्बन्धित उपायुक्त को प्रेषित करेंगे तथा इन संस्तुतियों के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर जिला योजना कक्ष सुनिश्चित करेगा कि स्कीम अथवा कार्य की स्वीकृति जारी हो जाए । जहां भी आवश्यक होगा यह जिला योजना कक्ष का दायित्व रहेगा कि वे संस्तुतियों पर अनुमान बनवाने तथा उन पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें । सामान्यतः सभी स्कीमों का कार्यन्वयन या तो उपलब्ध सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा या फिर ग्राम पंचायतों / नगर पंचायतों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं को भी निम्न शर्तो के साथ शामिल किया जा सकता हैः–

1. स्वंयसेवी संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए ।

2. स्वंयसेवी संस्था का स्कीमों के निर्माण में अनुभव होना चाहिए।

3. स्वंयसेवी संस्था द्वारा किए गए कार्यो का विकास खण्डों में नियुक्त अभियन्ताओं द्वारा assessment के आधार पर धनराशि जारी की जाए ।

4. सभी जिलाधीश स्वंयसेवी संस्थाओं के चयन हेतु अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे । [12]

3.2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पत्तियों में जिस भी समुदाय/विभाग/बोर्ड/नगरपालिका/नगर पंचायत की भूमि आती है तो यदि कार्यकारी अभिकरण आवश्यक समझे तो सम्बन्धित से यह शपथ पत्र लिया जाए कि उन्हें प्रस्तावित भूमि पर परिसम्पति निर्माण पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है और परिसम्पति हर प्रकार से सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगी तथा इसका स्वामित्व परियोजना कार्यान्वयन से पहले राज्य सरकार के नाम स्थानान्तरित होना आवश्यक है । विधायक

---

[12] 1से 4 पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)/आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो.–लूज दिनांक 28.1.2009 द्वारा संशोधित

क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले विकास कार्यों हेतु किसी भी प्रकार का मुआबजा देने का प्रावधान नही है ।[13]

3.3. माननीय विधायक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कीम अथवा कार्य के लिए पूरी की पूरी धनराशि एक ही बार में स्वीकृत की जाए । इस योजना के अधीन स्कीम अथवा कार्य स्वीकृत होने तथा उस पर पूरा वित्तीय प्रावधान किए जाने के पश्चात किसी प्रकार के दायित्व नहीं रहने चाहिएं और न ही भविष्य में कोई वित्तीय प्रावधान किए जाने की व्यवस्था होगी ।

3.4. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चालू निर्माणाधीन कार्य (Ongoing work) स्वीकृत धनराशि से पूर्ण नही होता है और कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग कार्यकारी अभिकरण द्वारा की जाती है, तो उस अवस्था में, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर, कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति, उपायुक्त द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित की गई धनराशि में से ही प्रदान की जा सकती है।

कार्यकारी अभिकरण द्वारा चालू निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण करने के लिए मांग की गई आधिक्य धनराशि का संशोधित अनुमान लागत प्राक्कलन तैयार करके मामला पूर्ण औचित्य सहित सम्बन्धित उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा।[14]

3.5. सभी स्कीमों के लिए पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां एवं प्रशासनिक अनुमोदन देने का अधिकार सम्बन्धित उपायुक्तों को होगा । इन स्कीमों पर कोई विभागीय प्रभार नहीं लगाए जाएंगे तथा सभी स्वीकृत स्कीमों को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पूरा करना होगा ।

3.6. जिला नियोजन कक्ष सभी स्वीकृत स्कीमों का विवरण रखेगा तथा सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से कार्यान्वयन का सामयिक अनुश्रवण भी करेगा ताकि स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में बिना किसी लागत वृद्धि के सम्पूर्ण हों ।

3.7. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन प्रावधित धनराशि का निर्गम प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा ।

3.8. जहां इस योजना के अधीन स्वीकृत स्कीमों अथवा कार्यों का अनुश्रवण व सामयिक समीक्षा माननीय विधायकों द्वारा की जाएगी वहीं सम्बन्धित उपायुक्तों से प्रत्येक तिमाही के अन्त में स्वीकृत की गई स्कीमों, स्वीकृत राशियों, स्कीमवार व्यय विवरण तथा कार्यान्वयन की भौतिक स्थिति का विवरण योजना विभाग को प्रेषित किया जाएगा तथा इसके संकलन का दायित्व जिला योजना कक्ष का होगा ।

---

[13] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)1–2/99–2000–VKVNY-I दिनांक 9.12.2003 द्वारा संशोधित
[14] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपीः5–1/2016–17–गाईडलाईन–2016 दिनांक 24.5.2017 द्वारा संशोधित

3.9. जिन स्कीमों के लिए किन्हीं अन्य चालू वार्षिक कार्यक्रमों में वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हों, उन स्कीमों के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

3.10. यदि किसी पूर्व विधायक द्वारा संस्तुतित कार्य को किसी कारणवश शुरू न किया जा सका हो तो उसके स्थान पर वर्तमान विधायक की अनुशंसा अनुसार नए कार्य हेतु अव्ययित धनराशि की स्वीकृति दी जा सकती है ।[15]

3.11. इस योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए यदि किन्ही कारणों से जिला प्रशासन उसी वित्तीय वर्ष में इस धनराशि को व्यय करने में असमर्थ रहता है तो वकाया धनराशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।[16]

3.12. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन धनराशि का प्रावधान मांग संख्या–15, मुख्य शीर्ष –5475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय 00–800–02–SOON State Schemes विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (योजना) Object Code–37 मुख्य निर्माण कार्य (योजना स्कीम) के अधीन किया जाएगा तथा व्यय भी इसी विवरण के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

3.13. किसी भी विवाद की स्थिति में अथवा किसी विशेष मुद्दे पर स्पष्टीकरण के बारे में योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

----

[15] पत्र संख्या:PLG(F)-RDP/5-12/05-VKVNY-Dated 11.3.2015 द्वारा संशोधित

[16] पत्र संख्याः शून्य दिनांक 22.5.2004 द्वारा संशोधित

Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana

Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana launched in the year 1999-2000. For the implementation of this scheme a provision of Rs. 15.00 lakh was made in the financial year 1999-2000 for each Assembly Constituency which was revised to Rs. 20.00 lakh in thefinancial year 2000-2001. This scheme was discontinued in the year 2001-02 and restarted in the year 2003-04. Year-wise revised allocation per constituency is as under :

Financial Year	Revised Allocation (In lakh)
2003-04	25.00
2008-09	30.00
2012-13	50.00
2015-16	75.00
2016-17	100.00
2017-18	110.00
2018-19	125.00
2019-20	150.00
2020-21	175.00
2021-22	180.00
2022-23	200.00
2023-24	210.00
2024-25	220.00

अतिआवश्यक

सं0: पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2010-मा.वि.स.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक : शिमला-2, 19 जून, 2017

विषयः **योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित समिति का 22वाँ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (2016-17) पर अग्रिम कार्रवाई बारे।**

महोदय,

कृपया विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्यवयन के समेकित दिशा-निर्देश-2016 क्रम संख्या 3.11 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार इस योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए यदि किन्ही कारणों से जिला प्रशासन उसी वित्तीय वर्ष में इस धनराशि को व्यय करने में असमर्थ रहता है तो बकाया धनराशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।

2. उपरोक्त विषय पर माननीय मानव विकास समिति की सिफारिश पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत अव्ययित राशि को सरकारी कोष में जमा करने से पूर्व संबंधित विधायक के साथ विचार विमर्श करके स्वीकृत राशि को विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली अन्य उपयुक्त विकास योजना में उपयोग किया जाये।**

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2.

पृ0संख्याः यथोपरि, दिनांक : शिमला-2, 19 जून, 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-

1 जिला योजना अधिकारी, ... जिला.................हि0प्र0।

सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2.

आवश्यक

संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2019-20-बजट भाषण
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकःशिमला-2 27 जुलाई, 2019.

विषयः- **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश-2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2016-17-गाईडलाईन-2016 दिनांक 8 मई, 2017 के निरन्तरीकरण में **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा निर्देश के पैरा 2.1 में निहित मद् 20 में प्रति पंजीकृत महिला मण्डलों के लिए बर्तन तथा फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुदान राशि 20,000/-रूपये का प्रावधान था। इसे मद् संख्या 20 से लुप्त (omit) करते हए नई मद् (21) में सम्मलित करने का निर्णय लिया गया है। प्रति पंजीकृत महिला मण्डलों के लिए बर्तन तथा फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुदान राशि को 20,000/-रूपये से बढ़ाकर 25,000/-रूपये करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त प्रति पंजीकृत युवक मण्डलों को 25,000/-रूपये की अनुदान राशि खेल सामग्री व खेल उपकरणों के कय करने हेतु भी निर्णय लिया गया है।

अब माननीय विधायक अपनी निधि से प्रत्येक पंजीकृत महिला मण्डलों के लिए बर्तन तथा फर्नीचर क्रय करने हेतु बढ़ी हुई अनुदान राशि 25,000/-रूपये तथा प्रति पंजीकृत युवक मण्डलों को खेल सामग्री व खेल उपकरण क्रय करने हेतु 25,000/-रूपये की राशि प्रदान करने की अनुशंसा कर सकेंगे। यह राशि किसी भी पंजीकृत महिला मण्डल अथवा पंजीकृत युवक मण्डल को केवल एक ही बार दी जाऐगी। यदि किसी अन्य संस्था अथवा विभाग द्वारा उपरोक्त वस्तुएं पहले से ही उपलब्ध करवाई गई हो तो इस योजना के अन्तर्गत फिर से उपलब्ध नही करवाई जाएंगी।

ऐसे महिला मण्डल तथा युवक मण्डल जिन्हें माननीय विधायकों द्वारा बर्तन एवं फर्नीचर अथवा खेल सामग्री एवं खेल उपकरण प्रदान करने की अनुशंसा की गई हो वे नियमानुसार Rate Contract Vendor/GeM Vendor से ही सामग्री क्रय कर सकेगें तथा क्रय की गई सामग्री के विरूद्ध बिल खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला योजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे जोकि कि RTGS के माध्यम से विक्रेता को बिल के आधार पर भुगतान करेंगें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

क्ृ.पृ.उ.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 27 जुलाई, 2019.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. निजी सचिव, मुख्य सचेतक (हि0प्र0वि0स0), शिमला-2.
5. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हि0प्र0, शिमला-2.
6. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
7. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
9. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
10. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
11. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
12. उप-निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
13. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
15. गार्ड नस्ति।

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

आवश्यक

संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2019-20-बजट भाषण
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकःशिमला-2 27 जुलाई, 2019.

विषयः- **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशानिर्देश-2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2016-17-गाईडलाईन-2016 दिनांक 12-07-2016 तथा 8 मई, 2017 के निरन्तरीकरण में **''विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना''** के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा निर्देशों के पैरा 2.1 में निहित 21 मदों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान (मद-22) को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।

''विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से विधायक अपनी निधि से **''मुख्यमन्त्री लोक भवन''** कार्यक्रम के अन्तर्गत बनने वाले सामुदायिक भवन को और बड़ा करने के लिए राशि प्रदान करने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। यदि माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक या दो अतिरिक्त सामुदायिक भवन बनवाना चाहते हैं तो जितनी राशि माननीय विधायक अपनी निधि से (15 लाख पर रूपये तक) प्रदान करने की अनुशंसा कर सकते हैं तथा उतनी ही राशि (15 लाख रूपये) सरकार द्वारा (ग्रामीण विकास विभाग) प्रदान की जाएगी।''

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

कृ.पृ.उ.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 27 जुलाई, 2019.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. निजी सचिव, मुख्य सचेतक (हि0प्र0वि0स0), शिमला-2.
5. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हि0प्र0, शिमला-2.
6. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
7. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
9. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
10. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
11. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
12. उप-निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
13. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
15. गार्ड नस्ति।

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

No. PLG-FC(F)RDP/5-1/2019-20/VKNVY
Government of Himachal Pradesh
Planning Department

From

Pr. Secretary (Planning),
To the of Himachal Pradesh
Shimla 171002
Shimla-2, the January, 2019

To

All the Deputy Commissioners,
Himachal Pradesh

Shimla-2, the 26th March, 2020

Madam/Sir,

In modification of the existing guidelines for implementation of the Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana, the Members of the Legislative Assembly can now recommend purchase of sanitizers, masks, disinfectants and other material recommended for prevention of spread of COVID-19, of the maximum value of Rs. Ten Lakh out of the annual allocation per Legislative Assembly Constituency under Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana for distribution through Government/Certified health agencies in their own Constituency for a period of three months beginning from the date of issue of this letter. The procurements will be made strictly in accordance with the provisions of the HPFR and various instructions issued by the Government from time to time.

(Dr. Basu Sood)
Adviser
Planning Department
Shimla 171002

Contd/.....2

Endst. No. as above dated Shimla-2, the 26th March, 2020

Copy is forwarded to :-

1. Private Secretaries to Hon'ble Chief Minister/Ministers, Deputy Chairman, State Planning Board, HP Shimla-2.
2. Private Secretary to Hon'ble Speaker/Deputy Speaker HP Vidhan Sabha Shimla-4
3. All the Hon'ble Members of Legislative Assembly.
4. Sr. Private Secretary to the Additional Chief Secretary-cum-Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Shimia-2.
5. Private Secretary to the Chief Secretary to the GOHP, Shimla-2
6. All Administrative Secretaries to the GOHP, Shimla-2
7. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
8. Director, Treasuries and Accounts, GOHP.
9. Commissioner, Tribal Development Department, GOHP, Shimla 171002
10. All the District Planning Officers in HP (except Kinnaur and Lahaul and Spiti)
11. All the District Treasury Officers, GOHP.
12. AG, Himachal Pradesh, Shimla-3.
13. System Analyst, Planning Department, with the request that notification may be uploaded on Planning Department website and e-Raj Patra.

(Dr. Basu Sood)
Adviser
Planning Department
Shimla 171002

आवश्यक
संशोधित दिशा–निर्देश

संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2021-22-बजट भाषण
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला-2 23 जून, 2021.

विषयः- **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश-2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः पीएलजी (एफ) आरडीपी/5-1/2016-17-गाईडलाईन-2016 दिनांक 8 मई, 2017 तथा पीएलजी (एफ) आरडीपी/5-1/2019-20-बजट भाषण दिनांक 27 जुलाई, 2019 के निरन्तरीकरण में वर्ष 2021-22 से संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार माननीय विधायकों द्वारा **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अन्तर्गत प्रति पंजीकृत महिला मण्डलों को बर्तन तथा फर्नीचर, युवक मण्डलों को खेल सामग्री व खेल उपकरण (जिम) तथा पंजीकृत स्वंय सहायता समूह को उपरोक्त के लिये 50,000/-रूपये तक की राशि निम्न शर्तों के साथ अनुशंसित की जा सकेगीः-

1. किसी भी पंजीकृत महिला मण्डल, युवक मण्डल अथवा स्वयं सहायता समूह को उपरोक्त वर्णित सामग्री हेतु उनके अस्तित्व काल में अधिकतम 50,000/- रू. तक की सहायता इस निधि में से दी जा सकेगी।

2. एक वित्तीय वर्ष के दौरान माननीय विधायकों द्वारा कुल विधायक क्षेत्र विकास निधि के परिव्ययों की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि उपरोक्त हेतु अनुशंसित की जा सकेगी।

3. यदि किसी पंजीकृत महिला मण्डल, युवक मण्डल अथवा स्वयं सहायता समूह को इस निधि में से 50,000/-रू. से कम की धनराशि अनुशंसित की गई हो तो माननीय विधायकों द्वारा अतिरिक्त धनराशि की अनुशंसा की जा सकेगी ताकि कुल अनुशंसित राशि 50,000/-रू. तक पहुंच जाये।

4. पंजीकृत महिला मण्डल, युवक मण्डल अथवा स्वयं सहायता समूह को अनुशंसित धनराशि के माध्यम से शीघ्र लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संस्तुतित धनराशि का भुगतान विक्रेता को उपायुक्त कार्यालय अथवा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा ही किया जा सकेगा तथा संस्तुतित धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।

5. अनुशंसित धनराशि के विरूद्ध उपरोक्त सामग्री का क्रय खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप इस प्रकार किया जाएगा कि क्रय की गई सामग्री सीधे संबंधित पंजीकृत महिला मण्डल, युवक मण्डल अथवा स्वयं सहायता समूह को प्राप्त हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

पृ0संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2021-22-बजट भाषण दिनांकः शिमला-2, 23 जून, 2021.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. निजी सचिव, मानीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हि0प्र0, शिमला-2.
5. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
   ....
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
9. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
10. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
11. उप-निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
12. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
13. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. परियोजना अधिकारी, ITDP किन्नौर/ लाहौल एवं स्पिति हिमाचल प्रदेश।
15. गार्ड नस्ति।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

आवश्यक

संशोधित दिशा-निर्देश-2

संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2021-22-बजट भाषण
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला-2 14 जुलाई, 2021.

विषयः- **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश-2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2021-22-बजट भाषण दिनांक 23 जून, 2021 के निरन्तरीकरण में सरकार द्वारा लिये गए निर्णयानुसार **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अन्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों की मद सं0 2.1 में निहित मद -7 में संशोधन के उपरान्त माननीय विधायकों द्वारा निम्न शर्तों के अनुसार रोगी वाहन खरीदने की अनुशंसा की जा सकेगीः-

1. रोगी वाहन क्रय करने हेतु अनुशंसा सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाऐगी तथा इस अवस्था में समस्त औपचारिकताओं का दायित्व स्वास्थ्य विभाग का होगा। इस प्रकार के प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही प्रेषित किए जाऐंगे ताकि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में यह बता पाए कि सम्बन्धित संस्थाओं में पहले से रोगी वाहन अथवा चालक की उपलब्धता की स्थिति क्या है।
2. केवल बेसिक लाईफ स्पोर्ट (BLS) और एडवांस्ड लाईफ स्पोर्ट (ALS) रोगी वाहन ही क्रय किये जाऐंगे तथा इन वाहनों का समायोजन NAS 108 की fleet में रहेगा। विभाग
3. रोगी वाहन के पंजीकरण, insurance तथा रख-रखाव का दायित्व भी स्वास्थ्य का रहेगा।
4. रोगी वाहन हेतु चालक व Attendant का प्रावधान तथा उन पर वेतन व भत्तों इत्यादि का दायित्व भी स्वास्थ्य विभाग का रहेगा तथा विभागीय उपलब्ध स्वीकृत पदों में ही इसका समायोजन किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

पृ0संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2021-22-बजट भाषण दिनांकः शिमला-2, 14 जुलाई, 2021.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. निजी सचिव, मानीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हि0प्र0, शिमला-2.
5. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
9. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
10. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
11. उप-निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
12. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
13. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. परियोजना अधिकारी, ITDP किन्नौर/ लाहौल एवं स्पिति हिमाचल प्रदेश।
15. गार्ड नस्ति।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

आवश्यक
संशोधित दिशा-निर्देश

संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2021-22-बजट भाषण
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला-2 12 अप्रैल 2022.

विषयः- **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश-2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः पीएलजी (एफ) आरडीपी/5-1/2021-22-बजट भाषण, दिनांक 14 जुलाई के निरन्तरीकरण में सरकार द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2022 को बजट भाषण में लिये गए निर्णयानुसार **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों में एक नई मद सं0 2 (2.1) की उप-मद-21 सम्मिलित की गई है जो कि इस प्रकार से हैः-

2 (2.1) - 21: "ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शहीदों के सम्मान में द्वार इत्यादि निर्माण"।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिलास्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
स्लाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 12 अप्रैल, 2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय..मन्त्री, हि0प्र0 शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.

.....2

4. निजी सचिव, मानीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हि0प्र0, शिमला-2.
5. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....

6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3.
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
10. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
11. उप-निदेशक, जनजातीय विकास विभाग शिमला-2.
12. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
13. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. परियोजना अधिकारी, ITDP किन्नौर/ लाहौल/ स्पिति/ पांगी/ भरमौर हिमाचल प्रदेश।
15. गार्ड नस्ति।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

No. PLG (F) RDP/5-1/2022-23-VKVNY
Planning Department
Government of Himachal Pradesh

From

Pr. Secretary (Planning) to the
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002

To

All the Deputy Commissioner,
Himachal Pradesh.

Dated Shimla the 17th August, 2023

Subject: **Guidelines for implementation of VKVNY.**

Madam/Sir,

In view of heavy losses caused to human lives and public and private assets during recent rains in Himachal Pradesh, the Government has decided to include protection works of retaining walls/ breast walls and channelization of Nullahs in the permissible list of works which can be recommended by the Member of Legislative Assembly out of the "Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana" in relaxation of the provisions of the para-2.2.1 of the guidelines for implementation of "Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana" subject to the following conditions:

1. Restoration/construction of retaining walls/ breast walls and channelization of Nullahs benefitting individuals shall be eligible only if the Patwari or Pradhan of the Gram Panchayat gives a certificate/report that the retaining walls/ breast walls have been damaged/ washed away because of the rains which occurred after June, 2023, and there is threat to the houses of the individuals.

2. Channelization of Nullahs can be recommended by the MLAs out of VKVNY if the Patwari or Pradhan of the Gram Panchayat gives a report/certificate that the recent rains have loosened the strata and it is extremely necessary to channelize a nullah to protect private property or the community asset.

Page/2---

3. This relaxation in the guidelines will be valid during the financial year 2023-24 i.e. up to 31st March, 2024.

4. The funds sanctioned for the above-mentioned works and in the manner mentioned above shall have to be completed before 30th June, 2024 i.e. before the commencement of the next monsoons.

5. The sanctioning authorities may ensure that the funds sanctioned are utilized within the prescribed time frame.

Yours faithfully,

Adviser (Planning)
Planning Department,
Shimla-2

Endst. No. : -As above-Dated Shimla-2, the 17th August, 2023

Copy is forwarded to:

1. Pr. Prv. Secy.-cum-Spl. Secy. to Hon'ble Chief Minister. H.P. Shimla- 2.
2. Private Secretary to the Hon'ble Speaker Shimla-4
3. All the Hon'ble Members of Legislative Assembly.
4. Sr. Pvt. Secy. to Hon'ble Chief Minister/Ministers Shimla-2.
5. All Administrative Secretaries to Govt. of HP. Shimla-2
6. All the Head of Departments in HP.
7. Director, Treasury and Accounts HP.
8. Commissioner Tribal Dev. Department HP. Shimla-2.
9. The Accountant General HP Shimla-3
10. All the DPOs in HP (except L&S and Kinnaur).
11. All the Treasury Officers in HP.
12. System Analysist, Planning Department for uploading the amended guidelines on the website of Planning Department and e-Rajpatra.

Adviser (Planning)
Planning Department,
Shimla-2

Revised Instructions (VKVNY)

No. PLG (F) RDP/5-1/2022-23-VKVNY
Planning Department
Government of Himachal Pradesh

From

Pr. Secretary (Planning) to the
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002

To

All the Deputy Commissioner,
Himachal Pradesh.

Dated: Shimla the 19th January 2024

Subject: **Guidelines for implementation of VKVNY.**

Madam/Sir,

In continuation to this office letter of even number dated 17th August, 2023 on the subject cited above, the Government has decided to remove the condition regarding mandatory Report/Certificate issued by Pradhan/Patwari of the Gram Panchayat stated under para No.2 of the amended guidelines. Now the amended para will be read as under: -

2. Channelization of Nullahs can be recommended by the MLAs out of VKVNY if the recent rains have loosened the strata and it is extremely necessary to channelize a nullah to protect private property or the community asset.

Yours faithfully,

Adviser (Planning)
Planning Department,
Shimla-2

Endst. No. : -As above Dated Shimla-2, the 19th January 2024
Copy is forwarded to:

1. Pr. Prv. Secy.-cum-Spl. Secy. to Hon'ble Chief Minister. H.P. Shimla- 2.
2. Private Secretary to the Hon'ble Speaker Shimla-4
3. All the Hon'ble Members of Legislative Assembly.
4. Sr. Pvt. Secy. to Hon'ble Chief Minister/Ministers Shimla-2.
5. All Administrative Secretaries to Govt. of HP. Shimla-2
6. All the Head of Departments in HP.
7. Director, Treasury and Accounts HP.
8. Commissioner Tribal Dev. Department HP. Shimla-2.
9. The Accountant General HP Shimla-3
10. All the DPOs in HP (except L&S and Kinnaur).
11. All the Treasury Officers in HP.
12. System Analysist, Planning Department.

Adviser (Planning)
Planning Department,

संशोधित दिशा–निर्देश

संख्याः पीएलजी(एफ)आरडीपी/5-1/2022-23-VKVNY
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला–2 30 जनवरी, 2024.

विषयः– **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश–2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र समसंख्याः दिनांक 19 जनवरी, 2024 के निरन्तरीकरण में सरकार द्वारा लिये गए निर्णयानुसार **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अन्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों की मद सं0 2 (2.1) पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले विकास कार्यों के अतिरिक्त निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:–

21. प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में केवल सामुदायिक लाभ हेतु Overhead/Underground पावर केब्लस को बदलने / नए लगाने का प्रावधान।
22. मुख्यमन्त्री लोक भवन योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि का प्रावधान।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला–2, 30 जनवरी, 2024.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
2. निजी सचिव, माननीय उप–मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला–4.
4. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला–2.

5. निजी सचिव, मानीय उपाध्यक्ष, हि0प्र0पर्यटन विकास निगम हि0प्र0, शिमला-2.
6. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
7. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
9. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
10. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
11. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
12. संयुक्त निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
13. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
15. परियोजना अधिकारी, ITDP किन्नौर/ लाहौल/ स्पिति/ पांगी/ भरमौर हिमाचल प्रदेश।
16. गार्ड नस्ति।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

संख्याः पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी./5–1/22–2023वि.एम.जे.एस.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषकः

प्रधान सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–2

प्रेषितः

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला–2 13th मार्च, 2024

विषय – विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्या पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी. /5–1६2022–23–VKVNY दिनांक 30 जनवरी, 2024 के निरन्तरीकरण में माननीय मुख्यमन्त्री के वर्ष 2024–25 के बजट भाषण की गई घोषणा अनुसार **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अर्न्तगत निर्धारित दिशा–निर्देशों में मद सं0 2(2.1) सम्मिलित की गई है, जो कि निम्न प्रकार है :–

2(2.1)25: माननीय विधायक "मुख्यमन्त्री आवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरुप विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से किसी भी श्रेणी के लाभार्थी को आवास बनाने के लिए अनुशंसा कर सकते है। "

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिलास्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । दिशा–निर्देशों में यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला–2, 13th मार्च, 2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
2. निजी सचिव, माननीय उप–मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, शिमला–4.
4. निजी सचिव, माननीय..मन्त्री, हिमाचल प्रदेश.
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, सातवां वित्त आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
6. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
7. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, हि0 प्र0 पर्यटन विकास निगम, शिमला–2.

8. निजी सचिव, माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री..........................हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
9. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
10. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
11. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
12. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
13. संयुक्त-सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
14. उप सचिव (वित्त-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
15. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
17. गार्ड नस्ति ।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

No. PLG(F)RDP/5-1/2022-23-VKVNY-loose
Govt. of Himachal Pradesh
Planning Department

From

Adviser (Planning),
Himachal Pradesh,
Shimla-171002.

To

All the Deputy Commissioners,
Himachal Pradesh.

Dated: Shimla-2 the 16 September,2024.

Subject: Guidelines for implementation of VKVNY.

Madam/Sir,

In continuation of this office letter No. PLG(F) RDP/5-1/2022-23-VKVNY dated 17th August, 2023, and 19th January, 2024 the Government has decided to extend the relaxation in the guidelines of VKVNY to include the protection works of retaining walls/breast walls and channelization of Nullah in the permissible list of the works which can be recommended by the Hon'ble Member of Legislative Assembly upto 31st March, 2025.

Yours faithfully,

(Dr. Basu Sood)
Adviser (Planning)
Himachal Pradesh,
Shimla-171002.

Endst. No. As above. Dated the Shimla-2, the 16 September, 2024

Copy for information and necessary action is forwarded to:

1. All the Hon'ble Members of Legislative Assembly.
2. All Administrative Secretaries to Govt. of HP, Shimla-2.
3. The Accountant General, HP, Shimla-3.
4. Pr. PS-cum-Spl. Secy. to Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2.
5. Spl. PS to Hon'ble Industries, Parliamentary Affairs and Labour & Employment Minister, H.P.
6. Sr. PS to the Hon'ble Chief Minister/Ministers, Shimla-2.
7. Sr. PS to the Chief Secretary, Himachal Pradesh. Shimla-2

Contd/-2

8. All Head of Department in HP.
9. Director, Treasury and Accounts HP.
10. Commissioner Tribal Development Department HP, Shimla-2.
11. Joint Secretary (Finance-Budget) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
12. All the District Planning Officers, H.P.
13. Project Officer (ITDP) at Kinnaur, Lahaul, Spiti, Pangi and Bharmaur, H.P.
14. All the District Treasury Officers, H.P.
15. Guard file.

Adviser (Planning)
HP Shimla-171002

संशोधित
दिशा–निर्देश

संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपी/5–1/2022–23.VKVNY
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला–2 14 नवम्बर, 2024.

विषयः– **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश–2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र समसंख्याः दिनांक 16 सितम्बर, 2024 के निरन्तरीकरण में सरकार द्वारा लिये गए निर्णयानुसार **''विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना''** के अन्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों की मद सं0 2 (2.1) पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले विकास कार्यों के अतिरिक्त निम्नानुसार प्रावधान किया जाता हैः–

26. प्रति वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निम्न मदों के लिये अधिकतम रु0 40 लाख की लागत के कार्य माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित किये जा सकते हैः–

(क) सामुदायिक लाभ हेतु खेतों की जंगली जानवरों एवं पशुओं से सुरक्षा के लिये कांटेदार तार/ Chain-Linked जाली लगाने का प्रावधान।

(ख) सामुदायिक लाभ हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का प्रावधान।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला–2.

.....2

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 14 नवम्बर, 2024.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
4. निजी सचिव, माननीय उप-मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
6. निजी सचिव, माननीय.......................................मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2.
7. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, ... हि0प्र0, शिमला-2.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
9. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
10. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
11. संयुक्त सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
12. संयुक्त निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
13. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
15. परियोजना अधिकारी, ITDP किन्नौर/ लाहौल/ स्पिति/ पांगी/ भरमौर हिमाचल प्रदेश।
16. गार्ड नस्ति।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-2.

संख्याः पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी./5–1/22–2023वि.के.वी.एन.वाई.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषकः

प्रधान सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–2

प्रेषितः

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला–2 04 फरवरी, 2025

विषय – विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्या पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी./5–1–2022–23–VKVNY दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के निरन्तरीकरण में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अर्न्तगत निर्धारित दिशा–निर्देशों में मद सं0 2(2.1) पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यो में अतिरिक्त निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:–

2(2.1)27: FCA/FRA Cases हेतु Net Present Value एवं Compensatory Afforestation के लिए राशि का प्रावधान।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिलास्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूंद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला–2, 04 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
....
2. प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
3. निजी सचिव, माननीय उप–मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, शिमला–4.
5. निजी सचिव, माननीय...मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।
6. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, सातवां वित्त आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
7. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
8. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, हि0 प्र0 पर्यटन विकास निगम, शिमला–2.

10. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
11. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
12. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
13. संयुक्त-सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
14. उप सचिव (वित्त-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
15. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
17. गार्ड नस्ति ।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

संख्याः पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी./5-1/22-2023वि.के.वी.एन.वाई.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषकः

प्रधान सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-2

प्रेषितः

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-2 07 अप्रैल, 2025

विषय - विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्या पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी. /5-1-2022-23- वि.के.वी.एन.वाई. दिनांक 04 फरवरी, 2025 के निरन्तरीकरण में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अर्न्तगत निर्धारित दिशा-निर्देशों में मद सं० 2(2.1) 27 पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

2(2.1)27: **किसी भी योजना/कार्य के अंतर्गत** FCA/FRA Cases हेतु Net Present Value एवं Compensatory Afforestation की राशि का प्रावधान।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिलास्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डॉ० बसु सूदं)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

पृ०संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 07 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
....
2. प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय उप-मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, शिमला-4.
5. निजी सचिव, माननीय..मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।
6. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, सातवां वित्त आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
7. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
8. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, हि० प्र० पर्यटन विकास निगम, शिमला-2.

----2

10. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
11. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
12. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
13. संयुक्त-सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
14. उप सचिव (वित्त-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
15. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
17. गार्ड नस्ति ।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

PLG(F)RDP/5-1/2022-23-VKVNY-loose
Government of Himachal Pradesh
Planning Department

From

The Principal Secretary (Planning) to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-2.

To

All the Deputy Commissioners,
Himachal Pradesh.
Dated : Shimla-2. the 05th July, 2025.

Subject: **Guidelines for implementation of VKVNY.**

Madam/Sir,

In continuation of this office letter of even No. dated 16th September, 2024, the Government has further decided to extend the relaxation in the guidelines of VKVNY to include the protection works of Retaining walls/Breast walls and Channelization of Nullahs in the list of permissible works which can be recommended by the Hon'ble Member of Legislative Assembly upto 31st March 2026.

Yours faithfully,

(Dr. Basu Sood)
Adviser (Planning)
HP, Shimla-2.

Endst. No : As above. Dated Shimla-2 the 05th July, 2025

Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. Hon'ble MLA Sh./Smt ....
....

1. Pr. Pvt. Secy.-cum-Spl. Secy. to Hon'ble Chief Minister. H.P. Shimla- 171002.
2. Private Secretary to the Hon'ble Deputy Chief Minister H.P. Shimla-171002.
3. Private Secretary to the Hon'ble Speaker Shimla-171004.
4. Private Secretary to the Hon'ble .... Minister Shimla-171002.
5. Private Secretary to the Hon'ble Chairman, 7th State Finance Commission.
6. Private Secretary to the Hon'ble Deputy Chairman, State Planning Board.
7. Private Secretary to the Hon'ble Deputy Chairman, HP Tourism Development Corporation, Shimla-2.
8. All Administrative Secretaries to Govt. of HP. Shimla-171002.
9. All the Head of Departments in HP.
10. Director, Treasury and Accounts HP.
11. The Accountant General HP Shimla-3.
12. All the District Planning Officers, Himachal Pradesh.
13. All the Treasury Officers, Himachal Pradesh.
14. System Analysist, Planning Department for uploading the amended guidelines on the website of Planning Department.

Adviser (Planning)
HP,Shimla-2.